

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

1. [प्ररूप — 2क]

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन — पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग—1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन— क्षेत्र

[में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं—

में क्रम सं— पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है

जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं—

क्रम सं— पर प्रविष्ट है।

तारीख

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खंडे न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए ...10... कुश्लि...

.....नामांजलि..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के
.....25/11/2011..... रूपोंमें नामनिर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थी का नामनित्यरंजन Rie.....

पिता/माता/पति का नामयोगेश Rie.....

उसका डाक पतालू।मं-१५८८८८१५, पटे वालशिलिया.....

.....प्राजा-वालशिलिया-जिला-कुश्लिया-पिन- 855106

उसका नाम10.....कुश्लिया-..... संसदीय निर्वाचन -क्षेत्र

[में समाविष्ट53-ठाकुरगंज-..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक-189..... में क्रम संख्यांक ..343..... पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक रूपरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक				पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	ठाकुरगंज	188	15	रुक्मानन्द राम	रुक्मानन्द राम	5-4-16
2	ठाकुरगंज	188	436	रविन्द्र रामक	रविन्द्र रामक	5-4-16
3	ठाकुरगंज	186	70	बुर्ज प्रकाश राम	बुर्ज प्रकाश राम	5-4-16
4	ठाकुरगंज	190	111	जुनेद आलम	Juned. Alam	5-4-16
5	ठाकुरगंज	190	205	गोप्यमद चैत्र आलम	गोप्यमद चैत्र आलम	5-4-16
6	ठाकुरगंज	190	181	मोह रामेश आलम	मोह रामेश आलम	5-4-16
7	ठाकुरगंज	197	237	दिनेद वास	दिनेद वास	5-4-16
8	गोप्यमद आलम	154	545	अष्टुल रोह	अष्टुल रोह	5-4-16
9	गोप्यमद आलम	161	1115	नर्सीम अरफन	नर्सीम अरफन	5-4-16
10	ठाकुरगंज	180	306	रामानन्द Rie-	रामानन्द Rie-	5-4-16

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग—३

मैं, भाग १/भाग २ (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि —

(क) मैंने ५। वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में लागू नहीं दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/ राज्य दल हैं और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में लागू नहीं दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) लागू नहीं (ii) (iii) हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर लागू नहीं (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो लागू नहीं राज्य के उस राज्य में के लागू नहीं (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित *** जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख ०५.०६.२०१६



(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप तथा लक्षद्वीप की दशा में " मैं समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन —क्षेत्र " शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

**** जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :— " मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक(आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है : या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित
किया गया है

हाँ / नहीं ✓

यदि उत्तर " हाँ " में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट
संख्यांक न६३०
- (ii) पुलिस थाना
(थाने) न६३० जिला (जिले) राज्य
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का
संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
..... न६३०
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें)
..... न६३०
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था
..... न६३०
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि
उपदर्शित करें
..... न६३०
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) न६३०

- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ / नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ –
.....
.....
.....
.....
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे नहीं
.....
.....
.....
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित हैं नहीं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो –
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) नहीं
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) नहीं

स्थान – लखनऊ^०

तारीख – ०६.०६.२०१६

.....
[अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

^१अधिसूचना सं०का०आ० ९३५(अ) तारीख ३ सितम्बर २००२ द्वारा अंतःस्थापित।

भाग — 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

25/04/2014 iARO

नामनिर्देशन—पत्र की क्रम सं०
यह नामनिर्देशन मुझे / मेरे कार्यालय में 05/04/2014 (तारीख) को 02.02 PM (बजे)

* अभ्यर्थी / प्रस्त्रापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 05/04/2014

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

रिटर्निंग आफिसर
19-वार्षिक रत्नालय नियोग बोर्ड

भाग — 5

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ : —

तारीख

रिटर्निंग आफिसर



“प्रस्तुप 26”

(नियम 4क देखिए)



10- ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୧୮

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं निर्वाचन रिपोर्ट **पुत्र/पुत्री/फतेही टोमोरो रिपोर्ट

आयु ५१ वर्ष, जो २१८-८०८२६९७ से २१८-८०८२६९८

anmer. - 21.02.2019, Blnr. - Objekt-Nr. 855106

(डाक का

(परमता लिखे) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं—

(1) मैं कृतिंष्ठ (**) राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा

किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 53-६।कृष्णजा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 189

के क्रम सं 343 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 08292050032 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ...

..... ۱۶۷ ہے ।

Digitized by srujanika@gmail.com

UJITRAN S
NOTARY

NOTARY
Kishanganj (Bihar) India
Authorised U/s 8 (1) (e) of the
Notary Act (Act) LIII of 1952



(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के बौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	नहीं	नहीं	नहीं
2.	पति या पत्नी	नहीं	नहीं	नहीं
3.	आश्रित-1	नहीं	नहीं	नहीं
4.	आश्रित-2	नहीं	नहीं	नहीं
5.	आश्रित-3	नहीं	नहीं	नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण बौरे	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्जान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नहीं

BIBHUTI KANT SAHA
NOTARY

Kishanganj (Bihar) India
Authorised U/s 8(1)(e) of the
Notary Act (Act) LIII of 1952



(इ.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नं ६१०
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नं ६११

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नं ६१०
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नं ६११
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	नं ६१२

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नं ६१०
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदशों) की तारीख (तारीखें)	नं ६११
(ग)	अधिरोपित दंड	नं ६१२
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील पाइ दी गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे अभिसाक्षी की प्रास्तिति	नं ६१३



(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	100,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

BIBHUTIKANT SAHA
NOTARY
Kishanganj (Bihar) India
Authorised U/S 5 (1) (e) of the
Notary Act (Act) LIII of 1952



	विनिधान और रकम					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	नहीं	सांने का अनुच्छेद 24/पा 80,000/-	नहीं	नहीं	नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	100,000/-	80,000/-	नहीं	नहीं	नहीं

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	40 अ-भा. नं. 159 रकम. 80,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	82 डिं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹. 100,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति	प्रति या पत्नी का नाम KISHANGANJ (Bihar) India Authorised U/s 8(1)(e) of the Notary Act (Act) LIII of 1952	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



	(अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	बटीं	न८०	न८०	न८०	न८०
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	बटीं	न८०	बटीं	बटीं	बटीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
(III)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	बटीं मकान प्रभाग-भाग जलाल-160 वर्गफुट	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1500 वर्गफुट	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1000 वर्गफुट	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं	बटीं

NOTARY
Kishanganj (Bihar) India
Authorised Uts 841 (P) of 1952
Notary Act (Act) LIII of 1952

	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, सनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	50,000/-	+	नहीं	नहीं	100/-
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	10/-
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	450,000/-	+	नहीं	नहीं	नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के द्वौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमे प्रत्येक के समक्ष रकम के द्व्यारों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	संघ	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(I)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	एक०ली० अ० अ० बैंक ऑफ इंडिया 20,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्ववाले का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	ट्रेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	NOTAR संकाय परिवहन (वायुयान और Kishangangotri (Bihar, India) सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



आय-कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
धनकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सेवाकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
नगरपालिका/ संपति कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
विक्रयकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कोई अन्य शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वालित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(9) वृति या उपजीविका के बौरे :

(क) स्वयं 21 मार्च 2023 (Sat), कृष्ण

(ख) प्रति या पत्नी 21 मार्च

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

मेरी अर्हता 21 मार्च 2023 (Sat) 6 PM - 4 PM

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रय के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के बौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रय पूरा किया गया था, का बौरा दें)

Benny
BIBHUTIKANT SAHA
NOTARY
Kishanganj (Bihar) India
Authorised U/s 9(1)(e) of the
Notary Act (Act) LIII of 1952



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुर्तु मित्रजन रुपै				
2	डाक का पता	ग्राम ।- लन्दूपाटी, फौर + आनन्द गाँव लिहा, असाम, क्रि.शनगंगा ।- 855106				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	10- क्रि.शनगंगा, लिहा,				
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कांग्रेस,				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	नहीं				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिल)	नहीं				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएं)	नहीं				
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है,	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	१६०	१६०	१६०		
	(ख) पति या पत्नी	१६०	१६०	१६०		
	(ग) आश्रित	१६०	१६०	१६०		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1,00,000/-	80,000/-	१६०	१६०	१६०
ख	स्थावर आस्तियां	4,50,000/-	१६०	१६०	१६०	१६०

W
15/10/1957
SAHA
India
15/10/1957
15/10/1957



	I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9		दायित्व					
	(i)	सरकारी शेष्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	20,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शेष्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11		उच्चतम शैक्षिक अहंता :	मैट्रिक्स विद्यालय परीक्षा 6 नवंबर - 2011				
			स्नायुपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का बौरे दें।				

Kishan
Acharya
N.D.



सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लबित मामलों से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख २५.४.२०१४ को सत्यापित किया गया।

BIBHUTI KANT SAHA
N C T A R Y
Kishanganj (Bihar) India
Authorised Utsav (Uts) of 1992
Notary Act (Act) LIII of 1952
M.O. About Law
Date 25/4/2014

अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टॉकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तम्भों को भरा जाना है। कोई भी स्तम्भ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा

यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तम्भ भर लिए रखे हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तम्भों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में

उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की सवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं 08292 050032

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) है..... ०८२९२०५००३२

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... ०८२९२०५००३२

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।



क बैंक में जमा किये
रजिस्ट्री डाक से भेजी
कि रोकड़ विभाग के
उपरिकारी नहीं हैं।

प्रतिवेश परिवहन करवा कर
अन्यथा वह शाखा में
भाग लेने वाले हों कि याम

बुक किम दिन की तारीख

- (1) खातेदारों में जारी वाले तभी
जायें या गोकर
बाहर का काइ
- (2) खातेदार को 1
यथासम्बव तु
इसको लेना चाहिए
बुक किम दिन की तारीख
- (3) बचत वैंक ग्राता के प्रचलित नियम अपना क्रमानुसार कर प्राप्त किय
जा सकते हैं।


यूको बैंक  UCO Bank

ग्रान्ट
Branch

नाम
Name

पता
Address

महाप्रबक्ष/Asst. Manager



03400105653 15

शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप

{भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 (क)}

(संसदीय क्षेत्र निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले
प्रतिज्ञान का प्ररूप)

मैं गुरुर्जन हिंद, जो

लोक सभा में एक स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ।

ईश्वर की शपथ लेता हूँ
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान

के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की प्रभूता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूँगा।

गुरुर्जन हिंद

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और
स्पष्ट अक्षरों में उनका नाम
५/५/०१४

श्री/ श्रीमती गुरुर्जन हिंद

अज दिनांक ०५.०५. माह मई २०१४ को गुरुर्जन हिंद,
नि- गुरुर्जन हिंद (स्थान) पर २०.०० PM बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ
१५८० गुरुर्जन हिंद ली/ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

५/५/१४
सहायिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
१०- नाम, पदनाम और मुहरें दीवा।

०४.०५.२०१८ अवधि ०५ रुपये

०७/११/१८ क्रम ४२९१८.....

दिवसे अवधि स्थिति रुपये

०५ वर्षा वाली गलामी किसान

१०. किसान दंडवीज निर्माण शेतको के

गाँठ देखे २५००० = ००

25000 = ००

देखे

देखे

कुल २५००० = ००

कुल मूल पहचान हजार रुपयोग्या।

क्रम ०५/१८

तिथि ०५.०५.१८

